



पशुपालन निदेशालय, बिहार



ई-मेल - dirahd-bih@nic.in

वेबसाइट - ahd.bih.nic.in

दूरभाष /फैक्स - 0612-2215962

पत्रांक - 8 बजट (1) 15/ 2017 प0पा0 50000(नि0) आ0/

दिनांक - 09/01/2018

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा0प्र0से0

निदेशक, पशुपालन।

सेवा में,

निदेशक, पशुपालन,

बिहार, पटना।

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक शीर्ष 2403- पशुपालन, राज्य स्कीम 101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य 0101- अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, मांग संख्या- 02, विपत्रकोड- 02-2403001010101 के अन्तर्गत PMU (Project Monitoring Units) के गठन हेतु सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से विषय विशेषज्ञों की सेवा आउटसोर्स से प्राप्त करने की योजना हेतु अधीनस्थ कार्यालय के व्यय को वहन करने हेतु कुल ₹ 25,00,000/- (पच्चीस लाख रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या-3919 दिनांक- 07.12.2017 के आलोक में निम्न तालिका के अनुसार कुल ₹ 25,00,000/- (पच्चीस लाख रुपये) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

क्र0 सं0	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	28- व्यावसायिक सेवाएँ	0101.28 02- संविदा सेवाएँ	2500000
योग 02-2403.00.101.0101-अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना			2500000
₹ 25,00,000/- (पच्चीस लाख रुपये) मात्र।			

2- इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग सं0-02 के अधीन आय-व्ययक शीर्ष 2403 - पशुपालन, राज्य स्कीम 101 -पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य 0101 - अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्रकोड -02-2403001010101 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3- यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक यानि आगामी पाँच वर्षों के लिये कुल ₹ 300.00 लाख (तीन करोड़ रुपये) मात्र की लागत व्यय पर राज्य स्कीम अन्तर्गत विभागीय स्तर पर PMU (Project Monitoring Units) के गठन हेतु सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से विषय विशेषज्ञों की सेवा आउटसोर्स से प्राप्त करने की योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल ₹ 25.00 लाख (पच्चीस लाख रुपये) मात्र व्यय करने हेतु दिया जा रहा है। यह आवंटन प्रथम अनुपूरक आगणन से आच्छादित है।

4- वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998, 428/वि0 दिनांक- 31.03.2017, 3002/वि0 दिनांक- 26.04.2017 एवं वित्त विभाग से प्राप्त प्रथम अनुपूरक आगणन से संबंधित विमुक्ति आदेश पत्रांक- 942/वि0, दिनांक-01.09.2017 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकांसी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) वेतन-भत्ते को छोड़कर एक विषयशीर्ष की राशि दूसरे विषयशीर्ष में व्यय नहीं की जायेगी ।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग -1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हों ।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप में उपलब्ध करा दें ।

(घ) वित्तीय वर्ष 2017-18 का प्रत्येक प्रतिवेदन 15 मार्च 2018 तक अवश्य भेज दें ।

5- जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय /प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये । इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है ।


विश्वासभाजन



निदेशक, पशुपालन ।

ज्ञाप संख्या- 8 बजट (1) 15/2017 प0पा0 / 50 (100) आ0/ पटना-15, दिनांक 04/01/2018


प्रतिलिपि - उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या - टी0 ए0- 57 - 96-97-प0पा0-9-46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।



निदेशक, पशुपालन ।

ज्ञाप संख्या- 8 बजट (1) 15/2017 प0पा0 / 50 (100) आ0/ पटना-15, दिनांक 04/01/2018


प्रतिलिपि- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



निदेशक, पशुपालन ।

ज्ञाप संख्या- 8 बजट (1) 15/2017 प0पा0 / 50 (100) आ0/ पटना-15, दिनांक 04/01/2018


प्रतिलिपि- उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम0-405/98 पार्ट-3909 वि0 (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



निदेशक, पशुपालन ।

ज्ञाप संख्या- 8 बजट (1) 15/2017 प0पा0 / 50 (100) आ0/ पटना-15, दिनांक 04/01/2018


प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



निदेशक, पशुपालन ।

ज्ञाप संख्या- 8 बजट (1) 15/2017 प0पा0 / 50 (100) आ0/ पटना-15, दिनांक/...../2018

प्रतिलिपि- सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ लेखा शाखा-09/योजना शाखा-06 एवं 10, पशुपालन, बिहार, पटना/ आई0 टी0 मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को (विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



निदेशक, पशुपालन ।

कत